**संलग्न XXVII**

(अध्याय 11 – पैरा 4.2)

# भारत निर्वाचन आयोग

राजनैतिक दलों अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

## I. सामान्य आचरण

1. किसी दल या अभ्यर्थी को एसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक और भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

2. जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत छवि ओर कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कियाकलापों से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़–मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।

3. मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मजिस्दों, गिरिजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओ को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के भीतर मत देने का अनुरोध संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को समाप्त होने वाली 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाऐं करना और मतदाताओं को सवारी से पालिंग स्टेशनों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

5. सभी राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण ओ विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें, चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये।

6. किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।

7. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोर्जित सभाओं जुलूसों आदि में बाधाएं न डालें या उन्हे भंग न करे। एक राजनेतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिन्तकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके, गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभांए की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

## II. सभाएं

1. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त समय पर सूचना द देनी चाहिये, वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इन्तजाम कर सकें।

2. दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर, जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबोधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश लागू हों तो, उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहियें यदि ऐसे से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

3. यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

4. किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने या इसका प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहासता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।

## III. जुलूस

1. जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये, कि जुलूस किस–किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर

जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये।

2. आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को अग्रिम सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक इन्तजाम कर सकें।

3. आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बन्धातमक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उस निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। यातायात के विनियमों और निर्बन्धों का भी ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिये।

4. आयोजकों को जुलूस का इन्तजाम ऐसे ढ़ग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकालना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ो में संगठित किया जाना जाहिये, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर, विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है रूके हुए यातायात के लिये समय–समय पर रास्ता दिया जा सके ओर इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।

5. जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाए और डयूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह पर कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये।

6. यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी राजनैतिक रास्ते या उसके भाग से जुलूस निकानले का प्रस्ताव किया है, तो आयोजको को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में समपर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इन्तजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथा शीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

7. जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणें में दुरूपयोग किया जा सकता हों राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।

8. किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चनले, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

## IV. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों का चाहिये कि वे–

(i) यह सुनिश्चित करने के लिये मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो किवे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बेज या पहचान पत्र दें।

(iii) इस बात से सहमत हो कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(iv) मतदान के दिन ओर उसके पूर्व के 24 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

(v) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा पोलिंग स्टेशनों के निकट लगाए गए कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं ओर शुभचिंतकों में मुकाबला और तनाव न होन पाये।

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किए जायें और भीड़ न लगाई जाए।

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे वे साफ–साफ दिखाई देते रहें।

## V. पोलिंग स्टेशन

मतदाताओ के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वान आयोग द्वारा दिये गये विधि मान्य पास के बिना पोलिंग स्टेशनों में प्रवेश नहीं करेगा।

## VI. प्रेक्षक

निर्वाचयन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उनकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते है।

## VII. सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या सम्बन्धित राज्यो में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह यह शिकायत करने का कोइ मौका न दे कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, ओर विशेष रूप से–

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबिंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए ओर निर्वाचन के दौरान प्रचार करतें हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए,

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा; और

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजलिनक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हेलिपैडों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं ऐसे स्थानो का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(iii) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, बंगलों या अन्य सरकारी आवासें पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासो का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुज्ञा देगा किन्तु कोई दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासें का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण व्याप्ति के लिए सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमो से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोप कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बंद रहना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों।

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से नर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते है, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

(vi) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करें अथवा

(ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधरशिलाएं आदि नहीं रखंगे, या

(ग) सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे, आदि

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

(vii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी पोलिंग स्टेशन या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

नोट– आयोग जिस किसी भी निर्वाचन की तिथि की घोषणा करेगा, जो कि सामान्यतया उस तिथि से तीन सप्ताह पहले से अधिक की नहीं होगी जिस तिथि को ऐसे निर्वाचनों के संबंध में अधिसूचना जारी की जानी है।